न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

सीन अधिकारी – संजय गोयल आर.ए.एस.

स्व दावा सं0:–228 / 2014

गीरथ पुत्र श्री राम जाति गुर्जर निवासी कपरोली तहसील व जिला रतपुर (राज.)

.......वादी

बनाम

1. नेतराम
2. नंदराम

पिसरान कमल जाति गुर्जर निवासी ऊंचागांव तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

3. मिलीलाल
4. तेजसिंह
5. विजयसिंह

पिसरान मंगली जाति जाटव निवासी ऊंचागांव तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

6. तहसीलदार, भरतपुर
7. सब रजिस्ट्रार, भरतपुर

........प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक : 02.03.2020

निर्णय

वादी द्वारा दिनांक 29.09.2014 को यह राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आ0ख0नं0 481 रकबा 0.61 है. 483 रकबा 0.30 व 490 रकबा 0.03 है. 491 रकबा 0.40 है. ग्राम ऊंचागांव तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। विवादित

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

हाल खसरा नम्बर 481 रकबा 0.61 है. वादी की खातेदारी का रकबा है जो गत खसरा नम्बर 391/4.8, 392/0.9 किता 2 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा से निर्मित किया गया है। सैटिलमेन्ट विभाग वालों ने दौराने सैटिलमेन्ट 391 व 392 से नया नम्बर 481 रकबा 0.61 ऐयर निर्मित किया है। गत के मुकाबले वादी की खातेदारी में 78 ऐयर दर्ज होना चाहिये। जबकि सैटिलमेन्ट विभाग ने केवल 0.61 ऐयर पर ही वादी को खातेदार दर्ज किया है। जबकि मौके पर वादी 78 ऐयर पर गत के अनुसार काबिज है और काश्त कर रहा है। इस प्रकार वादी का सैटिलमेन्ट विभाग वालों ने 17 ऐयर रिकार्ड में कम करते हुये उसे केवल 0.61 ऐयर पर ही खातेदार दर्ज किया है। जबकि वादी मौके पर 0.78 ऐयर पर ही काबिज है। वादी ने दिनांक 23.07.2005 को अपने खातेदारी के रकबे 0.61 ऐयर में से 4/5 हिस्सा विक्रय कर दिया है। इस प्रकार रिकार्ड के अनुसार वादी 12 ऐयर पर खातेदार के रूप में दर्ज है। जबकि मौके पर 0.29 ऐयर रकबे पर गत के अनुसार काबिज है व काश्त कर रहा है। हाल खसरा नम्बर 490/0.03, 491/0.40 किता 2 रकबा 0.43 ऐयर ऊंचागांव तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 490/0.03, 491/0.40 गत 401 मिन रकबा 2 बीघा से निर्मित है। गत के मुकाबले प्रतिवादीगण की खातेदारी में 32 ऐयर रकबा आना चाहिये लेकिन गत के मुकाबले उनको 43 ऐयर अर्थात् 11 ऐयर अधिक पर खातेदार दर्ज किया है। जबकि मौके पर वो गत के अनुसार 32 ऐयर पर ही काबिज है। यह 11 ऐयर वेशी रकबा वादी के खातेदारी का रकबा है जिसे गलती से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज कर दिया है। हाल खसरा नम्बर 483 रकबा 0.30 ऊंचागांव में स्थित है जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 5 खातेदार के रूप में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 483 गत खसरा नम्बर 393 रकबा 1 बीघा 10

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

विस्वा से निर्मित हुआ है। गत के मुकाबले प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 5 को 24 ऐयर पर खातेदार दर्ज करना चाहिये जबकि उन्हें 30 ऐयर अर्थात 6 ऐयर पर खातेदार दर्ज किया है। 6 ऐयर अधिक रकबा वादी का है जिसे गलती से प्रतिवादीगण संख्या 3 लगा. 5 की खातेदारी में दर्ज किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 5 मौके पर गत के अनुसार 24 ऐयर पर ही काबिज है। वादी ने दिनांक 24.08.2014 को प्रतिवादीगण से गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने बाबत् कहा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वादी हाल आ.ख.नं. 490/0.03, 491/0.40 किता 2 रकबा 0.43 ऐयर में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से में अधिक आये 11 ऐयर का खातेदार काश्तकार है और रिकार्ड में इन्द्राज इसी प्रकार किया जाये। हाल खसरा नम्बर 483 रकबा 0.30 ऐयर में प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 5 के नाम अधिक दर्ज हुये 6 ऐयर रकबे का खातेदार काश्तकार वादी है और इस प्रकार का इन्द्राज रिकार्ड में किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण की जरिये रजि. ए.डी. सम्मनों से की गई। प्रतिवादीगण जरिये रजि. ए.डी. सम्मनों से उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 22.02.2017 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने एवं जबावदावा प्रस्तुत नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गई।

वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल सं. 2070–73 किता 3, नकल जमाबन्दी सं. 2030–33 किता 3, नकल नक्शा अक्स हाल एवं गत, नकल मिलान क्षेत्रफल पेश की। मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान वादी भागीरथ पीडब्ल्यू–1 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की।

वादी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने खातेदारी आ.ख.नं. 481/0.64 है. की कमी रकबा 17 ऐयर की पूर्ती चाही गई। जबकि हाल नकल नक्शा में मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 1,2 के हाल ख.नं. 490 एवं 491 वादी के आ.ख.नं. 481 से बहुत दूर है। इन ख.नं. से वादी के रकबा की पूर्ती नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 5 के हाल आ.ख.नं. 483 रकबा 0.30 है. गत आ.ख.नं. 393/1.10 बीघा से निर्मित किया गया है। जो गत के मुकाबले में 6 ऐयर अधिक पर खातेदार दर्ज किया गया है। नकल नक्शा अक्स के मुताबिक वादी का आ.ख.नं. 481 एवं प्रतिवादी सं. 3 लगा. 5 का आ.ख.नं. 483 की सीमाऐं आपस में लगी हुई हैं। इसलिए वादी के कमी रकबा 6 ऐयर की पूर्ती प्रतिवादी सं. 3 लगा. 5 के ख.नं. 483 रकबा 0.30 है. से 6 ऐयर कम कर की जा सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दावा वादी आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

दावा वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 5 के ख.नं. 483 रकबा 0.30 है. बाके ग्राम ऊंचागांव से 6 ऐयर कम किया जाकर 0.24 है. किया जाता है। वादी के आ.ख.नं. 481/0.61 है. बाके ग्राम ऊंचागांव का रकबा 0.61 है. के स्थान पर 0.67 है. किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

पुर

रकबा 0.40 गाँव ऊंचा में तहसील भरतपुर में

निर्णय आज दिनांक 02.मार्च 2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर